आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
नामांतरण अपीलवादवाद सं0 : 77 / 2009–10 142 / 2008–09 **(प्रमोद कुमार अग्रवाल बनाम अं0 अ0 गिरिडीह)** **आदेश** अपीलार्थी पक्ष की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दिए गए तर्क को सुना गया । अंचल कार्यालय, गिरिडीह के नामांतरण वाद संख्या 67 / 2008–09 में विज्ञ अंचल अधिकारी, गिरिडीह के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर किए गए इस अपीलवाद में निहित भूमि गैरमजरूआ खास खाता की है । पंजी –।। में वादगत भूमि से संबंधित कोई जमाबन्दी भी अबतक कायम नही है । बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के प्रावधानो के अंतर्गत इस प्रकार की भूमि जंमीदारी उन्मूलन के बाद राज्य सरकार में सन्निहित माना गया है । इस प्रकार की भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया अवैध ही मानी जाएगी एवं उसपर दखल भी अनाधिकृत माना जाएगा । अतः उर्पयुक्त आलोक में निम्न–न्यायालय के नामांतरण वाद संख्या 67 / 2008–09 में विज्ञ अंचल अधिकारी, गिरिडीह के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2008 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है । अतः अपीलार्थी का अपील अस्वीकृत किया जाता है। सरकारी भूमि को अनाधिकृत दखल / अतिक्रमण से मुक्त किए जाने की कार्रवाई भी अंचल स्तर से अपेक्षित है । निम्न–न्यायालय मूल अभिलेख के साथ आदेश की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी गिरिडीह को भेजी जाए। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह ।	935 30/10/09